



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आषाढ़ 1943 (श10)

(सं0 पटना 597) पटना, शुक्रवार, 9 जुलाई 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

9 जुलाई 2021

एस0 ओ0 119, दिनांक 9 जुलाई 2021— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 124 दिनांक 23 जनवरी, 2018, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 49 दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में चौथे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

" परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत कर अवधि जून, 2021 से या जून, 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही से, जैसा भी मामला हो, के लिए देय कुल विलंब फीस की राशि, जो कि नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट राशि से अधिक है, उक्त तालिका के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो प्ररूप जीएसटीआर- 1 में जावक आपूर्ति के ब्योरे का विवरण नियत तारीख तक प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, का अधित्यजन किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

क्रमांक	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	राशि
(1)	(2)	(3)
1.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनकी कर अवधि में कोई जावक आपूर्ति नहीं है	दो सौ पचास रुपये

क्रमांक	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	राशि
(1)	(2)	(3)
2.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो, क्रम संख्या 1 में शामिल व्यक्तियों के अलावा	एक हजार रुपये
3.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक और 5 करोड़ रुपये तक हो, क्रम संख्या 1 में शामिल व्यक्तियों के अलावा	दो हजार पांच सौ रुपये

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-12)1193)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

9 July 2021

एस० ओ० 119, दिनांक 9 जुलाई 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-12)1193)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

The 9th July 2021

S.O. 119, dated 9th July 2021— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 124 dated the 23rd January, 2018, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 49 dated the 23rd January, 2018, namely: —

In the said notification, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided also that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act for the tax period June, 2021 onwards or quarter ending June, 2021 onward, as the case may be, shall stand waived which is in excess of an amount as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** by the due date, namely:—

Table

S. No.	Class of registered persons	Amount
(1)	(2)	(3)
1.	Registered persons who have nil outward supplies in the tax period	Two hundred and fifty rupees
2.	Registered persons having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year, other than those covered under S. No. 1	One thousand rupees

S. No.	Class of registered persons	Amount
(1)	(2)	(3)
3.	Registered persons having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees 5 crores in the preceding financial year, other than those covered under S. No. 1	Two thousand and five hundred rupees

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12)1193)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 597-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>